संचिका संख्या– 16 गोशाला विकास/2012 - 15

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना

प्रेषक,

विनय कुमार,

सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना– 15, दिनांक– 17/01/2015

URGENT

माननीय उच्च न्यायालय के अवमाननावाद से संबंधित।

विषय :– राज्य स्थित गौशालाओं की परिसम्पत्तियों एवं अतिक्रमण/अवैध दखल (अनधिकृत कब्जा) की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अवमानना वाद संख्या 590/ 2014 में दिनांक 16.01.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन न्यायादेश के आलोक में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार के पत्र संख्या–86 दिनांक–05.03.2012, सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–127 दिनांक–28.06.2014 एवं निदेशक, पशुपालन के पत्रांक 234 दिनांक 16.12.2014 के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित निबंधित कुल 87 (सतासी) गोशालाओं के परिसम्पत्ति से अतिक्रमण तथा अनधिकृत दखल को हटाने के लिये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित ''बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009'' तथा इससे संबंधित नियमावली यथा ''बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली–2010'' के अन्तर्गत सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई का स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बावजूद कृत कार्रवाई से अनभिज्ञता के कारण **दिनांक 16.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वाद संख्या 590/ 2014** की सुनवाई के दौरान विभाग द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। फलस्वरुप **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी** तथा सुनवाई की अगली तिथि **23.01.2015** को इस संबंध में स्पष्ट विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि **माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ** उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में **निम्नांकित प्रपत्र** में वांछित प्रतिवेदन अनिवार्यतः

दिनांक 19.01.2015 तक ई–मेल secyahd-bih@nic.in के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

ससमय तथा पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपके तथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (जो बिहार गोशाला अधिनियम, 1950 के तहत गठित गोशाला समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं) के विरूद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किया जा सकता है और संबंधित पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निदेश भी दिया जा सकता है।

विश्वासभाजन

सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक –16 गोशाला विकास/2012-15 पटना– 15, दिनांक–17/01/2015

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

प्रपत्रः–

क्र0	गोशाला का नाम एवं पता	अनुमंडल का नाम	जिला का नाम	गोवंश की संख्या				
				दुधारू गाय	विसुखी गाय	बाछा–बाछी	बैल–साँढ़	कुल गोवंश
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गोशाला भूमि का ब्यौरा				अतिक्रमित भूमि का ब्यौरा (क्षेत्रफल के साथ)	अतिक्रमणकारी का नाम (अतिक्रमित रकवा के साथ)	अतिक्रमण हटाने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 16 (गो0 वि0) 12/86 दिनांक 05.03.2012 के आलोक में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत की गई अद्यतन कार्रवाई।	अभ्युक्ति
खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	पूर्ण चौहद्दी				
10	11	12	13	14	15	16	17